

08/11/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद विभाजन प्रस्ताव बहस में विचाराधीन चल रहा है। इस कारण इस स्तर पर स्थगन आदेश पारित किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.C.) बालीतरा